सहायक कलक्टर
(SDO), खींवसर

.06.2017

उक्त पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प कोर्ट आकला में पेश हुआ उक्त प्रकरण का निर्णय दिनांक 05.05.2005 किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की गई । तथा तहसीलदार खींवसर को बंटवाड़ा स्कीम भिजवाने हेतु लिखा गया था। तहसीलदार खींवसर ने आज दिनांक 01.06.2017 को केम्प कोर्ट में बंटवाड़ा स्कीम निम्नानुसार प्रस्तुत कर निवेदन किया की श्रीमान के आदेशानुसार प्राथमिक डिक्री का भोतिक सत्यापन करने मौके पर पहुचें । वाद में निर्णय दिनांक 05.05.2005 की रूह अनुसार मौजा आकला के ख.न. 600 रकबा 37 बीघा व ख.न. 599 रकबा 02 बिश्वा का बंटवाड़ा किया गया है। मौके पर प्राथमिक डिक्री अनुसार ही मौके पर कब्जा काश्त है व मौके पर सींव–माठ डाली हुई है।

1. मौजा आकला के खेत ख.न. 600 रकबा 37 बीघा में से 19 बी. उत्तरादा हिस्सा वादीगण लक्ष्मणराम व झमकूदेवी के कब्जे काश्त खातेदारी में रखा जाता है ।
2. मौजा आकला के खेत ख.न. 600 रकबा 37 बीघा में से 18 बी. दक्षिणी हिस्सा व ख.न. 599 रकबा 02 बिश्वा गै.मु. ढाणी बंट व कब्जे काश्त व खातेदारी में रखा जाता है।
3. मौजा आकला के खेत ख.न. 600 के पश्चिम सींव से पुरानी ढाणी ख.न. 599 के चिपता उतरी तरफ 6 फुट रास्ता वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 के लिये हमेशा हमेशा आगे जाने के लिये रास्ता खुला रखा जाता है।

अतः बाद सुनवाई और वकील वादी के उक्त बंटवाडा स्कीम पर कोई आपति प्रस्तुत नहीं करने पर उक्त बंटवाड़ा स्कीम स्वीकार की जाती है तथा इसी अनुसार डिक्री पर्चा जारी किया जावें तथा स्टाम्प डयुटी प्रस्तुत होने पर तहसीलदार खींवसर को राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हेतु लिखा जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

अध्यक्ष
(सहायक कलक्टर)
लोक अदालत
न्याय आपके द्वार
केम्प कोर्ट आकला

Scanned by CamScanner